

**न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर**

राजस्व अपील संख्या 13/2008

अनवान

श्रीमती गुरमीत कौर पत्नि श्री निर्मलजीत सिंह वालिया जाति सिक्ख पंजाबी निवासी  
गंज, अजमेर। ..... अपीलान्त

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

..... रेस्पोजेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :- 1. श्री डूंगरसिंह राठौड, पुष्पेन्द्र सिंह नरुका अभिभाषक अपीलान्त  
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक


**आदेश**

**दिनांक :- 31.01.2018**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने ग्राम सोमलपुर तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नं0 1753 रकबा 01-10-00 बीघा मे से 229.66 वर्ग गज भूमि रेकार्डेड खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, सुरेन्द्र कौर पत्नी प्रीतम सिंह व श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2004 खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। अपीलान्त द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत सोमलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सभी सह खातेदारों के अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, आदेशानुसार अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 621 भरकर पेश किया जो अप्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 24.3.2007 से खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को नोटिस जारी किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दू पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपील बहस दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सोमलपुर तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नं0 1753 रकबा 01-10-00 बीघा मे से 229.66 वर्ग गज भूमि रेकार्डेड खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, सुरेन्द्र कौर पत्नी पत्नि प्रीतम सिंह व श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह से अपीलान्त द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2004 खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलान्त द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत सोमलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सभी सह खातेदारों के अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाने पर अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 621 भरकर पेश किया गया जो तहसीलदार अजमेर द्वारा सह खातेदारान की सहमति में



जिला कलक्टर  
अजमेर

प्रस्तुत शपथ पत्र को देखें बिना एवं अपीलान्ट को सुने बिना विधि विरुद्ध रूप से अपीलान्ट के पक्ष में भरा गया आक्षेपित नामान्तरकरण यह कहकर खारिज कर दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 के उल्लंघन में विक्रय पत्र किये जाने से नामान्तरकरण खारिज किया जाता है। पारित आदेश की अपीलान्ट को सूचना भी नहीं दी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि को भूखण्ड में बेचने से हुए धारा 42 के उल्लंघन को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही समाप्त कर दिये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि के सभी सहखातेदारान/काश्तकारों द्वारा प्रश्नगत आराजी का आपस में बँटवारा हो गया है तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है तो अन्य सहखातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है, का अंकन कर शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने से धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 24.03.2007 निरस्त फरमाते हुए विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। विवादित भूमि/भूखण्ड का बेचान संयुक्त खातेदारों में से बिना बँटवारे के 2/8 हिस्से के खातेदारों के द्वारा किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से आक्षेपित आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया जाना जाहिर है। इसलिये आक्षेपीय आदेश यथावत रखा जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार कर ग्राम सोमलपुर के नामान्तरकरण संख्या 621 पर पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.03.2007 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, सभी तथ्यों का भली भाँति परीक्षण कर नये सिरे से गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश 30 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे को सौंपा सुनाया गया।



31/01/18  
(गौरव मोयल)  
जिला कलक्टर,  
अजमेर